्रे प्रेषक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बिजनौर।

सेवा में,

मदरसा लिटिल फ्लावर कस्बा जलालाबाद ब्लाक नजीबाबाद

पत्रांक : २४६० / अ०स०क० / मदरसा मान्यता / २०१२- १३

दिनांक : 12/5/12

दिषय : मदरसे को तहतानिया (कक्षा 1 से 5 तक) की नवीन अस्थाई मान्यता दिए जाने के सम्बंध में।

विषय : मदरसे को तहतानिया (क्का 1 से 5 तक) को नवीन अस्थाई मान्यता दिए जाने के सम्बंध में 
उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके मदरसे को तहतानिया की नवीन अस्थाई मान्यता सिरि जाने का 
प्रकरण जिला मान्यता सिमित के समक्ष दिनांक 11-05-2012 को प्रस्तुत किया गया। मान्यता सिमिति के 
अनुसार आपके मदरसे को तहतानिया (कका। 1 से 5 तक) नवीन अस्थाई मान्यता मान्यता सिमिति के 
अनुसार आपके मदरसे को तहतानिया (कका। 1 से 5 तक) नवीन अस्थाई मान्यता मान्यता सिमिति के 
मान्यता की उत्ति हैं :
1126/52-3-2003-11(4)/2003. दिनांक 22-4-2003 में दिए गए निर्देशानुसार निन्नांकित प्रतिक्यों के साथ 
प्रवान की उत्ति हैं :
1 मदरसे में उत्तर्भ किया की की द्वारा निहित पादयकम या पाद्य पुस्तकों से मिन्न पादयकम में न तो किशा 
दी अपनी और न ही पाद्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।

3. मदर्भ के प्रवस्य या असके कार्यों का प्रवस्य करने वाले अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य होना कि 
समक-समय पर जारी किरपण विविद्या निर्देशों को पालन करेगा।

4. मदरसा विमाग के नियमों और समय-समय पर दिए गए निर्देशों और वार्येगा, अर्थात जरने निरमुक्त किया।

4. मदरसों में कान्न/प्राजाओं से किसी प्रकार का कोई शुक्त नहीं लिया जायेगा, अर्थात जरने निरमुक्त किया 
री जाएगी।

6. सररसे की अमस्य मियों का लेखा-जोखा उचित कम में रखा जाएगा। जिसे केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में 
जाना किया जाएगा, जो केवल संयुक्त हस्ताकर से निकाला जा सकेगा।

7. मदरसे में हिशा का माध्यम उर्दू होगा।

8. विनाम द्वारा समय-समय पर पर मदरसे का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के समय समस्त अमिलेख 
उपलब्ध कराने आवश्यक होगा।

10. सदरसे में तैनात समस्त शिक्षणे कमरे उपलब्ध होने आवश्यक हैं।

11. मदरसे में तैनात समस्त शिक्षणे कमरे उपलब्ध होने आवश्यक हैं।

12. मदरसे की केवा का अस्था होने अथा सदरय किसी समय बदला जाता है तो उसकी पूर्ण जानकारी इस कार्यालय 
को उपलब्ध कराना अवश्यक होगी।

13. मदरसे में तैनात समयत्त शिक्षण करने उपलब्ध होने आवश्यक होगा। स्था मान्यता होनु मदरसे का अपना निकी 
गयी सभी शतों को इस अविते में पूर्य करनी आवश्यक होगा। स्था मत्यात होन मदर का अपना निकी 
गयी सभी शतों को इस अविते में पूर्य करनी आवश्यक होगा। क्या मत्यात होन मत्यता होन भाग्यता है।

14. मदरसे में नियारित माम्यता होत किया विवेश एवं कार्यति होगी जाव सम्या होन सदर का अप

जिला अञ्चलकाम्बन्धानिकारी जिला अञ्चलकाम्बन्धानिकारी जिला विविद्यान्त्रेर तु प्रेषित। विद्यान्त्रेर लवानक।

पत्रांक दिनांक उत्तर प्रतिस्थि : निर्माक उत्तर प्रदेश प्रतिस्थि : निर्माकित को सूचनार्थ एवं आदायक कार्यवाहे हेंचु धेषिश । निर्देशक अवसरकारक करवाण 0000 600 इन्दिश मधन, तखनकः । 2. चरिन्दूरा अरबी-कारबी मदस्ताज, जवाहर मधन, तखनकः । 3. सचिव अरबरी-कारबी मदस्ताज, जवाहर मधन, तखनकः । 3. सचिव अरबरी-कारबी मदस्ताज, जवाहर मधन, तखनकः । 3. सचिव अरबरी-कारबी मदस्ताज, तिकानीर । 5. जिला वेसिक रिक्षा अधिकारी, विजानीर ।